रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एच.आर.-अ.-19102023-249556 CG-HR-E-19102023-249556

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 589]

No. 589]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 16, 2023/ आश्विन 24, 1945 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 16, 2023/ASVINA 24, 1945

> कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2023

सा.का.िन. 742(अ).—गैर-बासमती सुगंधित चावल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2023 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का विचार है, को उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इस अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना है, एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिस तारीख को भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अविध की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

आपत्तियों अथवा सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आपत्तियाँ अथवा सुझाव यदि कोई हों, तो वह कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, एन.एच.-IV, फरीदाबाद (हरियाणा)-121001 को अग्रेषित किए जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ- (1) इन नियमों का नाम गैर-बासमती सुगंधित चावल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2023 है।

6588 GI/2023 (1)

- (2) ये नियम मानव उपभोग के प्रयोजनार्थ चावल की निम्नलिखित गैर-बासमती सुगंधित क़िस्मों पर लागू होंगे |
 - (i) गोबिंदभोग
- (ii) तुलाईपंजी
- (iii) कटारिभोग
- (iv) कालोनुनिया
- (v) राधुनिपागल
- (3) ये सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं :- (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) ''अधिनियम'' से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) अभिप्रेत है;
 - (ख) ''कृषि विपणन सलाहकार'' से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;
 - (ग) ''प्राधिकृत पैकर'' से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों एवं साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के अधीन विहित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार चावल का श्रेणीकरण करने और उसे चिह्नांकित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया हो;
 - (घ) ''प्राधिकार प्रमाण पत्र'' से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा चावल के श्रेणीकरण और चिह्नांकन का प्राधिकार देता है;
 - (ङ) "साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है;
 - (च) "श्रेणी अभिधान चिह्न" से नियम 3 में निर्दिष्ट "एगमार्क प्रतीक चिह्न" अभिप्रेत है;
 - (छ) "विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम" से विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) के अंतर्गत बनाए गए विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 अभिप्रेत है एवं;
 - (ज) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।
 - (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम या नियम में हैं;
- 3. श्रेणी अभिधान चिह्न :- श्रेणी अभिधान चिह्न में "एगमार्क प्रतीक चिह्न" का डिज़ाइन होगा जो अनुसूची-। में निर्धारित डिजाइन के सदृश्य होगा जिसमें प्राधिकार प्रमाण-पत्र संख्यांक, शब्द 'एगमार्क', वस्तु का नाम और श्रेणी शामिल होंगे।
- 4. श्रेणी अभिधान :- चावल की गुणवत्ता उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान वह होगा जैसा कि अनुसूची-II से अनुसूची-VI के श्रेणी अभिधान हेतु मापदंड में वर्णित किया गया है।
- 5. गुणवत्ता:- इन नियमों के प्रयोजन के लिए चावल की गुणवत्ता अनुसूची-II से अनुसूची-VI में निर्दिष्ट के अनुसार होगी।
- 6. पैकिंग करने की विधि : (1) चावल को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018,खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 और विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार उचित पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाएगा।
 - (2) समान लॉट या बैच और ग्रेड के छोटे पैक आकारों की श्रेणीकृत सामग्री की पैकिंग एक मास्टर कंटेनर में की जाएगी और उस पर श्रेणी अभिधान चिह्न सहित पूरा ब्यौरा अंकित किया जाएगा।
 - (3) प्रत्येक पैकेज में समान प्रकार का और समान श्रेणी अभिधान का चावल होगा।

- (4) प्रत्येक पैकेज उचित और सुरक्षित रूप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा, ताकि उसकी सामग्री बाहर न फैल
- चिह्नांकन की विधि : (1) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या उनके द्वारा 7. अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 11 के अनुसार अनुमोदित रीति से सुरक्षित रूप से चिपकाया या मुद्रित किया जाएगा।
 - (2) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त, प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से और अमिट रूप से अंकित किया जाएगा:-
 - (क) वस्तु का नाम;
 - (ख) श्रेणी:
 - (ग) किस्म या ट्रेड का नाम (वैकल्पिक);
 - (घ) लॉट अथवा बैच संख्या:
 - (ड़) पैकिंग की तारीख;
 - (च) फसल वर्ष (वैकल्पिक)
 - (छ) शुद्ध भार;
 - (ज) प्राधिकृत पैकर का नाम और पता;
 - (झ) अधिकतम खुदरा मुल्य; (सभी कर सहित)
 - (ञ)माह....वर्ष के पूर्व उपयोग हेतु सर्वोत्तम:
 - (ट) विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 या खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के तहत निर्दिष्ट अथवा तत्समय लागू किसी अन्य कानून के तहत जारी अधिसूचना अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किन्हीं अनुदेशों के तहत निर्दिष्ट कोई अन्य विवरण, बशर्ते पैकेजों पर अंकन के लिए सही गुणवत्ता की स्याही का उपयोग किया जाएगा।
 - (3) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 11 के अंतर्गत श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिह्नांकित कर सकता है, परंतु वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित गुणवत्ता से भिन्न गुणवत्ता उपदर्शित नहीं करेगा।
- प्राधिकार प्रमाण पत्र की विशेष शर्तें:- साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 3 के उप-नियम (8) में 8. विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक प्राधिकृत पैकर इस नियम में निर्दिष्ट सभी शर्तों का पालन करेगा।
 - (1) चावल की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत पैकर साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 8 के तहत जारी मापदंडों के अनुसार या तो अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या किसी अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी अथवा एसोसिएशन प्रयोगशाला या ऐसी प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला के साथ संपर्क करेगा जिसका प्रबंधन साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 9 के अंतर्गत कषि विपणन सलाहकार या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित योग्य रसायनज्ञ द्वारा किया जा रहा हो।
 - (2) प्राधिकृत पैकर के परिसर को समुचित संवातन और प्रकाश सहित स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता की दशा में रखा जाएगा। इन कार्यों में लगे हुए कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे।
 - (3) प्राधिकृत पैकर के परिसर में पक्के फर्श सहित पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी और वह नमी, किसी तरह की दरारों, कृंतकों और कीटों से मुक्त होगा।
 - (4) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सीलिंग और अभिलेखों के अन्रक्षण से संबंधित ऐसे सभी अन्देशों का पालन करेंगे जो समय-समय पर साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के अंतर्गत कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए हो।

- 9. अन्य अपेक्षाएँ: (1) घरेलू व्यापार के मामले में यह धातु संदूषक, कीटनाशक अवशेष, सूक्ष्मजीव अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थों के अविशष्ट स्तर से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अविशष्ट) विनियम, 2011 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं अथवा घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अधीन अधिसुचित किसी भी अन्य विनियम का अनुपालन करेगा।
- (2) निर्यात के मामले में यह कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा निर्धारित भारी धातुओं और कीटनाशकों की अविशष्ट सीमाओं तथा अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडों अथवा आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।
- (3) (i) चावल की स्थिति ऐसी होगी कि वह -
 - (क) यातायात और हैंडलिंग की स्थिति का सामना कर सके और
 - (ख) जिसे अपने गंतव्य स्थान पर संतोषजनक ढंग से पहुंचाया जा सके।
 - (ii) चावल का भंडारण सामान्य तापमान पर शुष्क एवं स्वच्छ स्थान पर किया जाएगा।
- (4) आवश्यकता पड़ने पर चावल की किस्म की पुष्टि पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन (पीसीआर) परीक्षण द्वारा की जाएगी।

अनुसूची-I

(नियम 3 देखें)

(एगमार्क प्रतीक का डिजाइन)



	वस्तु का नाम	
श्रेणी		
	अन्या नी ॥	

अनुसूचा –II (नियम 4 व 5 देखें)

कच्चे मिल्ड गोर्बिंदभोग चावल (छोटा दाना) का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

- 1. गोबिंदभोग चावल ओरयज़ा सैटिवा एल की गैर-बासमती सुगंधित किस्म के परिपक्व दाने होंगे। कच्चे मिल्ड गोबिंदभोग चावल को मिलिंग के दौरान धान की भूसी निकालकर और पॉलिश करके प्राप्त किया जाता है।
- 2. न्यूनतम अपेक्षाएं:-

गोबिंदभोग चावल में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी-

- (क) सफ़ेद अथवा सफ़ेद क्रीमी रंग के छोटे दाने होंगे;
- (ख) एक समान माप, आकार और रंग होगा;
- (ग) कच्चे और पके दोनों रूपों में किस्म की विशेषता के अनुरूप प्राकृतिक सुगंध से युक्त होगा;
- (घ) कृत्रिम रंग, पोलिशिंग एजेंट, कृत्रिम सुगंध और अन्य किसी भी रसायन से मुक्त होगा;
- (ङ) गंदगी (पशु गंदगी) जैसे कि कृंतक बाल और मल, जीवित और मृत कीट, कीट के अंश, फफूंद और कवक से मुक्त होगा:
- (च) किसी भी प्रकार की विकृत गंध से मुक्त होगा;
- 3. कच्चे मिल्ड गोर्बिदभोग चावल के श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता के लिए मापदंड

तालिका

श्रेणी	सहन	गियता र्व	ने सीमा (अधि	कतम) (व	जन के	घुन लगे	1000	दाने	दाने	एमाइलोज़	क्षारीय
अभिधान			अनुसार %)		दाने	दानों का	की	की	सामग्री	प्रसरण
	नमी	बाह्य	क्षतिग्रस्त,	टूटे और	मिश्रण	(गणना के	वजन ग्राम	लंबाई	चौड़ाई	(वजन के	मान
		पदार्थ	बदरंग	विखंडित		अनुसार	में	(मिमी)	(मिमी)	अनुसार	(अंक)
			और	दाने		प्रतिशत)	(अधिकतम)	(से कम	(से	%)	
			खड़ियामय			(अधिकतम)		नहीं)	अधिक		
			दाने						नहीं)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विशेष	11.0	0.5	1.0	4.0	1.0	0.5	8.0	3.6	1.8		2.0-
मानक	12.0	1.0	2.0	6.0	2.0	1.0	8.0		1.9	17.0-	4.0
सामान्य	13.0	1.0	3.0	8.0	3.0	1.0	8.0		1.9	20.0	

नोट: दाने की लंबाई/चौड़ाई एल/बी अनुपात 1.8 से कम नहीं होना चाहिए

अनुसूची -III

(नियम 4 व 5 देखें)

पारबॉयल्ड (अधपका) मिल्ड तुलाईपंजी चावल (मध्यम दाना) का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

- 1. तुलाईपंजी चावल ओरयज़ा सैटिवा एल की गैर-बासमती सुगंधित किस्म के परिपक्व दाने होंगे। अधपके मिल्ड तुलाईपंजी चावल को मिलिंग के दौरान अधपके धान की भूसी निकालकर और पॉलिश करके प्राप्त किया जाता है।
- 2. न्यूनतम अपेक्षाएं:-

तुलाईपंजी चावल में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी-

- (क) सफ़ेद अथवा सफ़ेद क्रीमी रंग के मध्यम आकार के दाने होंगे;
- (ख) एक समान माप, आकार और रंग होगा;
- (ग) अधपके और पके दोनों रूपों में किस्म की विशेषता के अनुरूप प्राकृतिक सुगंध से युक्त होगा;
- (घ) कृत्रिम रंग, पोलिशिंग एजेंट, कृत्रिम सुगंध और अन्य किसी भी रसायन से मुक्त होगा;
- (ङ) गंदगी (पशु गंदगी) जैसे कि कृंतक बाल और मल, जीवित और मृत कीट, कीट के अंश, फफूंद और कवक से मुक्त होगा;
- (च) किसी भी प्रकार की विकृत गंध से मुक्त होगा;
- 3. अधपका मिल्ड तुलाईपंजी चावल के श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता के लिए मापदंड

तालिका

श्रेणी	सहनीय	ता की सीम	ा (अधिकतम)	(वजन के अन्	नुसार %)	घुन लगे	1000	दाने की	दाने की	एमाइलोज़	क्षारीय
अभिधान	नमी	बाह्य	क्षतिग्रस्त,	टूटे और	मिश्रण	दाने	दानों का	लंबाई	चौड़ाई	सामग्री	प्रसरण
		पदार्थ	बदरंग और	विखंडित		(गणना के	वजन ग्राम	(मिमी)	(मिमी)	(वजन के	मान
			खड़ियामय	दाने		हिसाब से	में	(से कम	(से	अनुसार	(अंक)
			दाने			प्रतिशत)	(अधिकतम)	नहीं)	अधिक	%)	
						(अधिकतम)			नहीं)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विशेष	11.0	0.5	1.0	4.0	1.0	0.5	11.0	4.7	1.8	16.0	3.0-
मानक	12.0	1.0	2.0	6.0	2.0	1.0	11.0		1.9	16.0- 19.0	5.0
सामान्य	13.0	1.0	3.0	8.0	3.0	1.0	11.0		1.9	19.0	

नोट: दाने की लंबाई/चौड़ाई एल/बी अनुपात 2.4 से कम नहीं होना चाहिए

अनुसूची –IV (नियम 4 व 5 देखें)

पारबॉयल्ड (अधपका) मिल्ड कटारिभोग चावल (मध्यम दाना) का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

- 1. कटारिभोग चावल ओरयज़ा सैटिवा एल की गैर-बासमती सुगंधित किस्म के परिपक्व दाने होंगे। अधपके मिल्ड कटारिभोग चावल को मिलिंग के दौरान अधपके धान की भूसी निकालकर और पॉलिश करके प्राप्त किया जाता है।
- 2. न्यूनतम अपेक्षाएं:-

कटारिभोग चावल में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी-

- (क) सफ़ेद अथवा सफ़ेद क्रीमी रंग के मध्यम आकार के दाने होंगे;
- (ख) एक समान माप, आकार और रंग होगा;
- (ग) अधपके और पके दोनों रूपों में किस्म की विशेषता के अनुरूप प्राकृतिक सुगंध से युक्त होगा;
- (घ) कृत्रिम रंग, पोलिशिंग एजेंट, कृत्रिम सुगंध और अन्य किसी भी रसायन से मुक्त होगा;
- (ङ) गंदगी (पशु गंदगी) जैसे कि कृंतक बाल और मल, जीवित और मृत कीट, कीट के अंश, फफूंद और कवक से मुक्त होगा;
- (च) किसी भी प्रकार की विकृत गंध से मुक्त होगा;
- 3. अधपका मिल्ड कटारिभोग चावल के श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता के लिए मापदंड

तालिका

श्रेणी	सहनीयत	ा की सीम	ा (अधिकतम) (र	वजन के अन्	नुसार %)	घुन लगे	1000 दानों	दाने की	दाने की	एमाइलोज़	क्षारीय
अभिधान	नमी	बाह्य	क्षतिग्रस्त,	टूटे और	मिश्रण	दाने (गणना	का वजन	लंबाई	चौड़ाई	सामग्री	प्रसरण
		पदार्थ	बदरंग और	विखंडित		के अनुसार	ग्राम में	(मिमी)	(मिमी)	(वजन के	मान
			खड़ियामय	दाने		प्रतिशत)	(अधिकतम)	(से कम	(से	अनुसार	(अंक)
			दाने			(अधिकतम)		नहीं)	अधिक	%)	
									नहीं)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विशेष	12.0	0.5	4.0	3.0	1.0	0.5	11.0	4.7	1.9	17.0	2.0-
मानक	13.0	1.0	5.0	4.0	2.0	1.0	11.0		2.0	17.0- 20.0	4.0
सामान्य	14.0	1.0	5.0	6.0	3.0	1.0	11.5		2.2	20.0	

नोट: दाने की लंबाई/चौड़ाई एल/बी अनुपात 2.1 से कम नहीं होना चाहिए

अनुसूची –V (नियम 4 व 5 देखें)

कच्चे मिल्ड कालोनूनिया चावल (मध्यम दाना) का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

- 1. कालोनूनिया चावल ओरयज़ा सैटिवा एल की गैर-बासमती सुगंधित किस्म के परिपक्व दाने होंगे। कच्चे मिल्ड कालोनूनिया चावल को मिलिंग के दौरान धान की भूसी निकालकर और पॉलिश करके प्राप्त किया जाता है।
- 2. न्यूनतम अपेक्षाएं:-

कालोनूनिया चावल में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी-

- (क) सफ़ेद अथवा सफ़ेद क्रीमी रंग के मध्यम आकार के दाने होंगे;
- (ख) एक समान माप, आकार और रंग होगा;

- (ग) कच्चे और पके दोनों रूपों में किस्म की विशेषता के अनुरूप प्राकृतिक सुगंध से युक्त होगा;
- (घ) कृत्रिम रंग, पोलिशिंग एजेंट, कृत्रिम सुगंध और अन्य किसी भी रसायन से मुक्त होगा;
- (ङ) गंदगी (पशु गंदगी) जैसे कि कृंतक बाल और मल, जीवित और मृत कीट, कीट के अंश, फफूंद और कवक से मुक्त होगा;
- (च) किसी भी प्रकार की विकृत गंध से मुक्त होगा;
- 3. कच्चे मिल्ड कालोनूनिया चावल के श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता के लिए मापदंड

तालिका

श्रेणी	सहनीय	ता की सीम	ा (अधिकतम) (वजन के अनु	सार %)	घुन लगे	1000 दानों	दाने की	दाने की	एमाइलोज़	क्षारीय
अभिधान	नमी	बाह्य	क्षतिग्रस्त,	टूटे और	मिश्रण	दाने	का वजन	लंबाई	चौड़ाई	सामग्री	प्रसरण
		पदार्थ	बदरंग और	विखंडित		(गणना के	ग्राम में	(मिमी)	(मिमी)	(वजन के	मान
			खड़ियामय	दाने		अनुसार	(अधिकतम)	(से कम	(से	अनुसार	(अंक)
			दाने			प्रतिशत)		नहीं)	अधिक	%)	
						(अधिकतम)			नहीं)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विशेष	12.0	0.5	2.0	8.0	1.0	0.5	11.0	4.5	1.9	47.0	3.0-
मानक	13.0	1.0	3.0	10.0	2.0	1.0	11.5		2.0	17.0- 20.0	5.0
सामान्य	14.0	1.0	4.0	12.0	3.0	1.0	12.0		2.2	20.0	

नोट: दाने की लंबाई/चौड़ाई एल/बी अनुपात 2.0 से कम नहीं होना चाहिए

अनुसूची –VI

(नियम 4 व 5 देखें)

कच्चे मिल्ड राधुनिपागल चावल (छोटा दाना) का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

- 1. राधुनिपागल चावल ओरयज़ा सैटिवा एल की गैर-बासमती सुगंधित किस्म के परिपक्व दाने होंगे। कच्चे मिल्ड राधुनिपागल चावल को मिलिंग के दौरान धान की भूसी निकालकर और पॉलिश करके प्राप्त किया जाता है।
- 2. न्यूनतम अपेक्षाएं:-

राधुनिपागल चावल में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी-

- (क) सफ़ेद अथवा सफ़ेद क्रीमी रंग के छोटे दाने होंगे;
- (ख) एक समान माप, आकार और रंग होगा;
- (ग) कच्चे और पके दोनों रूपों में किस्म की विशेषता के अनुरूप प्राकृतिक सुगंध से युक्त होगा;
- (घ) कृत्रिम रंग, पोलिशिंग एजेंट, कृत्रिम सुगंध और अन्य किसी भी रसायन से मुक्त होगा;
- (ङ) गंदगी (पशु गंदगी) जैसे कि कृंतक बाल और मल, जीवित और मृत कीट, कीट के अंश, फफूंद और कवक से मुक्त होगा;
- (च) किसी भी प्रकार की विकृत गंध से मुक्त होगा;
- 3. कच्चे मिल्ड राधुनिपागल चावल के श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता के लिए मापदंड

तालिका

श्रेणी अभिधान	सहनी	यता की र्स	ोमा (अधिकतम %)	न) (वजन के	अनुसार	घुन लगे दाने	1000 दानों का	दाने की लंबाई	दाने की चौड़ाई	एमाइलोज़ सामग्री	क्षारीय प्रसरण
	नमी	बाह्य पदार्थ	क्षतिग्रस्त, बदरंग और खड़ियामय दाने	टूटे और विखंडित दाने	मिश्रण	(गणना के अनुसार प्रतिशत) (अधिकतम)	वजन ग्राम में (अधिकतम)	(मिमी) (से कम नहीं)	(मिमी) (से अधिक नहीं)	(वजन के अनुसार %)	मान (अंक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विशेष	11.0	0.5	2.0	4.0	1.0	0.5	7.5	3.5	1.9	40.0	2.0-4.0
मानक	12.0	1.0	3.0	6.0	2.0	1.0	8.0		2.0	16.0-	
सामान्य	13.0	1.0	4.0	8.0	3.0	1.0	8.0		2.2	19.0	

नोट: दाने की लंबाई/चौड़ाई एल/बी अनुपात 1.5 से कम नहीं होना चाहिए

इन तालिकाओं के प्रयोजनार्थ स्पष्टीकरण:

- (i) बाह्य पदार्थ में अजैविक व जैविक पदार्थ शामिल हैं। अजैविक पदार्थ में रेत, बजरी, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कांच और धातु के टुकड़े, मिट्टी के ढेले और कीचड़ शामिल होते हैं। जैविक पदार्थ में भूसी, पुआल, घास-फूस, खरपतवार के बीज, चोकर के टुकड़े और अन्य अखाद्य अनाज शामिल होते हैं।
- (ii) क्षतिग्रस्त दाने वे साबुत दाने या उनके टुकड़े होते हैं जो गर्मी, नमी, मौसम या कीटाणुओं के परिणामस्वरूप अंकुरित या आंतरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।
- (iii) बदरंग दाने वे साबुत दाने या उनके टुकड़े होते हैं जिनका ठीक न हो सकने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप सतही रूप से प्राकृतिक रंग बदल जाता है।
- (iv) खड़ियामय दाने वे साबुत दाने या उनके टुकड़े होते हैं जिनका कम से कम आधा भाग अपारदर्शी, दूधिया सफेद रंग का और भुरभुरी प्रकृति का होता है।
- (v) टूटे दाने साबुत दानों के ऐसे टुकड़े होते हैं जो आकार में पूर्ण दाने के तीन चौथाई से कम होते हैं।
- (vi) विखंडित दाने साबुत दानों के ऐसे टुकड़े होते हैं जो आकार में पूर्ण दाने के एक आंठवें से कम होते हैं।
- (vii) मिश्रण का अर्थ विचाराधीन किस्म के अलावा उस ही अनाज की अन्य किस्म की उपस्थिति है।
- (viii) घुन लगे दाने वे अनाज के दाने होते हैं जिनमें अनाज के लिए हानिकारक कीटों द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से छेद कर दिया जाता है, लेकिन इनमें कीटाणुओं द्वारा खाए गए अनाज और अंडे के धब्बे वाले अनाज शामिल नहीं हैं।
- (ix) लंबाई-चौड़ाई अनुपात का अर्थ है किसी अनाज की लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात।

[फा. सं.-क्यू-11047/03/आरएआर/2023-मानक]

फ़ैज़ अहमद किदवई, अपर सचिव (विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2023

G.S.R. 742(E).— the following draft of the Non-Basmati Aromatic Rice Grading and Marking Rules, 2023 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) is hereby published as required by the said

section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the above said period shall be taken into consideration by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, in respect of the said draft rules may be forwarded to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, CGO Complex, NH - IV, Faridabad (Haryana) 121001.

DRAFT RULES

- 1. Short title, application and commencement. (1) These rules may be called the Non-Basmati Aromatic Rice Grading and Marking Rules, 2023.
 - (2) They shall apply to following Non-Basmati aromatic varieties of rice intended for direct human consumption:
 - (i) Gobindabhog
 - (ii) Tulaipanji
 - (iii) Kataribhog
 - (iv) Kalonunia
 - (v) Radhunipagal
 - (3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions. -(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);
 - (b) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;
 - (c) "authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation to grade and mark the rice in accordance with the grade standards and procedure provided under these rules and the General Grading and Marking Rules, 1988;
 - (d) "certificate of authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark rice with the grade designation mark;
 - (e) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988, made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);
 - (f) "grade designation mark" means "AGMARK Insignia" referred to in rule 3;
 - (g) "Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules" means the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, made under the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010); and
 - (h) "schedule" means a schedule appended to these rules.
- (2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 or the General Grading and Marking Rules, 1988, shall have the same meaning as are assigned to them under the said act or the rules.
- 3. Grade designation mark. The grade designation mark shall be consisting of the design of "AGMARK Insignia", as set out in Schedule-I, incorporating the certificate of authorisation number, the word "AGMARK", the name of commodity and its grade.
- 4. Grade designations. The grade designations to indicate the quality of rice including the criteria for grade designation shall be as set out in Schedule-II to VI.
- 5. Quality. -For the purpose of these rules, the quality of rice shall be as provided in Schedule-II to VI.
- 6. Method of packing. (1) Rice shall be packed in suitable packaging material in accordance with the provisions of the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018, the Food Safety and Standards (Labeling and Display) Regulations, 2020 and Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011.
 - (2) The graded material of small pack sizes of the same lot or batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with the grade designation mark.

- (3) Each package shall contain rice of the same type and of the same grade designation.
- (4) Each package shall be properly and securely closed and sealed so as to disallow spilling.
- 7. Method of marking.- (1) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in the manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him under rule 11 of the General Grading and Marking Rules.
 - (2) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package, namely:-
 - (a) name of the commodity;
 - (b) grade;
 - (c) variety or trade name(optional);
 - (d) lot or batch number;
 - (e) date of packing;
 - (f) crop year (optional);
 - (g) net weight;
 - (h) name and address of the authorised packer;
 - (i) maximum retail price (inclusive of all taxes);
 - (j) BEST BEFORE ______MONTH ____YEAR; and
 - (k) any other particulars as provided under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 or specified under the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 and the Food Safety and Standards (Labeling and Display) Regulations, 2020 or any notification issued under any other law for the time being in force or any instructions issued under the provisions of the Act, provided that right quality of ink is used for marking on packages.
 - (3) The authorised packer may after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him under rule 11 of the General Grading and Marking Rules, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided the same do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.
- 8. The special conditions of certificate of authorisation—In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, every authorised packer shall comply the conditions specified under these rules.
 - (1) The authorised packer shall either set up his own laboratory as per norms issued under rule 8 of the General Grading and Marking Rules, or have access to an approved State grading laboratory or cooperative or association laboratory or a private commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser under rule 9 of the General Grading and Marking Rules, for testing the quality of rice.
 - (2) The premises of the authorised packer shall be maintained in hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement and the personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.
 - (3) The premises of the authorised packer shall have adequate storage facilities with pucca floor and free from dampness, any kind of cracks and crevices, rodent and insect infestation.
 - (4) The authorised packer and the approved chemist shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with the General Grading and Marking Rules, from time to time.

9. Other requirements:

- For domestic trade, it shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and other regulations made for domestic trade under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006).
- 2) For export trade, it shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission or importing countries requirement for exports.

- 3) (i) The condition of the rice shall be so as to enable it to -
 - (a) withstand transport and handling; and
 - (b) arrive in satisfactory condition at the place of destination.
 - (ii) Rice shall be stored in a dry and hygienic place at normal room temperature.
- 4) The confirmation for rice variety shall be done by Polymerase Chain Reaction (PCR) test, if required.

SCHEDULE-I

(See rule 3)

(Design of AGMARK Insignia)



Name of the Commodity-----

Grade-----

SCHEDULE-II

(See rules 4 and 5)

Grade designation and quality of raw milled Gobindabhog rice (short grain)

- 1. Gobindabhog rice shall be the matured kernels of the Non-Basmati aromatic variety of *Oryza sativa L*. Raw milled Gobindabhog rice is obtained by dehusking and polishing of paddy during milling.
 - 2. Minimum requirements:-

Gobindabhog rice shall-

- (a) have short grains which are white to creamy-white in color;
- (b) have uniform size, shape and color;
- (c) possess marked degrees of natural fragrance, characteristic of the variety both in raw and cooked forms;
- (d) be free from artificial coloring, polishing agents, artificial fragrances and any other chemicals;
- (e) be free from filth (impurities of animal origin) such as rodent hair and excreta, live and dead insects, insect fragments, moulds and fungus;
- (f) be free from any musty obnoxious odor;
- 3. The criteria for grade designation and quality of raw milled Gobindabhog rice:

Table

Grade designation	Lit	nit of tole	rance (maxim	um) (% by w	reight)	Weevilled grains (%	1000 kernel	Kernel length	Kernel breadth	Amylose content	Alkali spreading
designation	Moisture	Foreign matter	Damaged, discolored and chalky grains	Brokens and fragments	Admixture	by count) (maximum)	weight in grams (maximum)	(mm) (not less than)	(mm) (not more than)	(% by wt)	value (score)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Special	11.0	0.5	1.0	4.0	1.0	0.5	8.0	3.6	1.8	17.0	2.0-4.0
Standard	12.0	1.0	2.0	6.0	2.0	1.0	8.0		1.9	17.0- 20.0	
General	13.0	1.0	3.0	8.0	3.0	1.0	8.0		1.9		

Note: Kernel length/breadth L/B ratio should not be less than 1.8

SCHEDULE-III

(See rules 4 and 5)

Grade designation and quality of parboiled milled Tulaipanji rice (medium grain)

- 1. Tulaipanji rice shall be the matured kernels of the Non-Basmati aromatic variety of *Oryza sativa L*. Parboiled milled Tulaipanji rice is obtained by dehusking and polishing of parboiled paddy during milling.
- 2. Minimum requirements:-

Tulaipanji rice shall-

- (a) have medium sized grains which are white to creamy-white in color;
- (b) have uniform size, shape and color;
- (c) possess marked degrees of natural fragrance, characteristic of the variety both in parboiled and cooked forms;
- (d) be free from artificial coloring, polishing agents, artificial fragrances and any other chemicals;
- (e) be free from filth (impurities of animal origin) such as rodent hair and excreta, live and dead insects, insect fragments, moulds and fungus;
- (f) be free from any musty obnoxious odor;
- 3. The criteria for grade designation and quality of parboiled milled Tulaipanji rice:

п 1	1 1	
a	nı	le

Grade designatio	Li	mit of tole	rance (maximu	ım) (% by w	reight)	Weevilled grains (%	1000 kernel	Kerne	Kernel breadt	Amylos e	Alkali spreadin
n n	Moistur e	Foreig n matter	Damaged, discolored , and chalky grains	Brokens and fragment s	Admixtur e	by count) (maximum)	weight in grams (maximum	length (mm) (not less than)	h (mm) (not more than)	content (% by wt)	g value (score)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Special	11.0	0.5	1.0	4.0	1.0	0.5	11.0		1.8	16.0	
Standard	12.0	1.0	2.0	6.0	2.0	1.0	11.0	4.7	1.9	16.0- 19.0	3.0-5.0
General	13.0	1.0	3.0	8.0	3.0	1.0	11.0		1.9		

Note: Kernel length/breadth L/B ratio should not be less than 2.4

SCHEDULE-IV

(See rules 4 and 5)

Grade designation and quality of parboiled milled Kataribhog rice (medium grain)

- 1. Kataribhog rice shall be the matured kernels of the Non-Basmati aromatic variety of *Oryza sativa L*. Parboiled milled Kataribhog rice is obtained by dehusking and polishing of parboiled paddy during milling.
 - 2. Minimum requirements:-

Kataribhog rice shall-

- (a) have medium sized grains which are white to creamy-white in color;
- (b) have uniform size, shape and color;
- (c) possess marked degrees of natural fragrance, characteristic of the variety both in parboiled and cooked forms;
- (d) be free from artificial coloring, polishing agents, artificial fragrances and any other chemicals;
- (e) be free from filth (impurities of animal origin) such as rodent hair and excreta, live and dead insects, insect fragments, moulds and fungus;
- (f) be free from any musty obnoxious odor;
- 3. The criteria for grade designation and quality of parboiled milled Kataribhog rice:

Table

Grade	Liı	mit of toler	ance (maxim	um) (% by w	eight)	Weevilled	1000	Kernel	Kernel	Amylose	Alkali
designation	Moisture	Foreign	Damaged,	Brokens	Admixture	grains (%	kernel	length	breadth	content	spreading
		matter	discolored	and		by count)	weight in	(mm)	(mm)	% by wt)	value
			and	fragments		(maximum)	grams	(not	(not		(score)
			chalky				(maximum)	less	more		
			grains					than)	than)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Special	12.0	0.5	4.0	3.0	1.0	0.5	11.0		1.9		
Standard	13.0	1.0	5.0	4.0	2.0	1.0	11.0	4.7	2.0	17.0-	2.0-4.0
General	14.0	1.0	5.0	6.0	3.0	1.0	11.5		2.2	20.0	

Note: Kernel length/breadth L/B ratio should not be less than 2.1

SCHEDULE-V

(See rules 4 and 5)

Grade designation and quality of raw milled Kalonunia rice (medium grain)

- 1. Kalonunia rice shall be the matured kernels of the Non-Basmati aromatic variety of *Oryza sativa L*. Raw milled Kalonunia rice is obtained by dehusking and polishing of paddy during milling.
 - 2. Minimum requirements:-

Kalonunia rice shall-

- (a) have medium sized grains which are white to creamy-white in color;
- (b) have uniform size, shape and color;
- (c) possess marked degrees of natural fragrance, characteristic of the variety both in raw and cooked forms;
- (d) be free from artificial coloring, polishing agents, artificial fragrances and any other chemicals;
- (e) be free from filth (impurities of animal origin) such as rodent hair and excreta, live and dead insects, insect fragments, moulds and fungus;
- (f) be free from any musty obnoxious odor;
- 3. The criteria for grade designation and quality of raw milled Kalonunia rice:

Table

Grade	Li	mit of tole	rance (maximu	ım) (% by w	eight)	Weevilled	1000	Kernel	Kernel	mylose	Alkali
designation	Moisture	Foreign	Damaged,	Brokens	Admixture	grains (%	kernel	length	breadth	content	spreading
		matter	discolored	and		by count)	weight in	(mm)	(mm)	(% by	value
			and chalky	fragments		(maximum)	grams	(not	(not	wt)	(score)
			grains				(maximum)	less	more		
								than)	than)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Special	12.0	0.5	2.0	8.0	1.0	0.5	11.0		1.9		
Standard	13.0	1.0	3.0	10.0	2.0	1.0	11.5	4.5	2.0	17.0-	3.0-5.0
General	14.0	1.0	4.0	12.0	3.0	1.0	12.0		2.2	20.0	

Note: Kernel length/breadth L/B ratio should not be less than 2.0

SCHEDULE-VI

(See rules 4 and 5)

Grade designation and quality of raw milled Radhunipagal rice (short grain)

- 1. Radhunipagal rice shall be the matured kernels of the Non-Basmati aromatic variety of *Oryza sativa L*. Raw milled Radhunipagal rice is obtained by dehusking and polishing of paddy during milling.
 - 2. Minimum requirements:-

Radhunipagal rice shall-

- (a) have short grains which are white to creamy-white in color;
- (b) have uniform size, shape and color;
- (c) possess marked degrees of natural fragrance, characteristic of the variety both in raw and cooked forms;
- (d) be free from artificial coloring, polishing agents, artificial fragrances and any other chemicals;
- (e) be free from filth (impurities of animal origin) such as rodent hair and excreta, live and dead insects, insect fragments, moulds and fungus;
- (f) be free from any musty obnoxious odor;
- 3. The criteria for grade designation and quality of raw milled Radhunipagal rice:

Table

Grade	Liı	nit of toler	ance (maximun	n) (% by we	ight)	Weevilled	1000	Kernel	Kernel	Amylose	Alkali
designation	Moisture	Foreign	Damaged,	Brokens	Admixture	grains (% by	kernel	length	breadth	content	spreading
		matter	discolored	and		count)	weight in	(mm) (not	(mm) (not	(% by wt)	value
			and chalky	fragments		(maximum)	grams	less than)	more than)		(score)
			grains				(maximum)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Special	11.0	0.5	2.0	4.0	1.0	0.5	7.5		1.9		
Standard	12.0	1.0	3.0	6.0	2.0	1.0	8.0	3.5	2.0	16.0-	2.0-4.0
General	13.0	1.0	4.0	8.0	3.0	1.0	8.0		2.2	19.0	

Note: Kernel length/breadth L/B ratio should not be less than 1.5

Explanation for the purpose of these Tables:

- (i) Foreign matter includes inorganic and organic matter. The inorganic matter shall include sand, gravel, dirt, pebbles, stones, glass and metallic pieces, lumps of earth, clay and mud. Organic matter shall include husk, chaff, straw, weed seeds, fragments of bran and other inedible grains.
- (ii) Damaged grains are kernels or pieces of kernels that are sprouted or internally damaged as a result of heat, moisture, weather or microbes.
- (iii) Discolored grains are kernels or pieces of kernels that have changed the natural color as a result of deteriorative changes superficially.
- (iv) Chalky grains are kernels or pieces of kernels of which at least half the portion is opaque, milky white in color and brittle in nature.
- (v) Brokens are pieces of sound kernels that are less than three-fourth of the size of the full kernels.
- (vi) Fragments are the pieces of kernels that are less than one-eighth of the size of the full kernels.
- (vii) Admixture means the presence of a variety of the same grain other than the variety in consideration.
- (viii) Weevilled grains are grain kernels that are partially or wholly bored by insects injurious to grain but do not include germ-eaten grains and egg-spotted grains.
 - (ix) Length- Breadth ratio means the ratio of the length of a grain to its breadth.

[F. No.Q-11047/03/RAR/2023-Std.]

FAIZ AHMED KIDWAI, Addl. Secy. (Marketing)